राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 453 जयपुर/2007-08

यह प्रमाणित किया जाता है कि विवेक शिक्षा समिति जयपुर जिला जयपुर राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 29 माह सितम्बर सन दो हजार 2007 को जयपुर में किया गया।

(अशोक कुमार जोशी)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 2374969 2751352 2751417

(../Citizen/Index)

VIVEK SHIKSHASAMITI()

Menu Search Me

Dashboard

Gopal
Credit
Card

Society

Audit

Court

M I S

Fee
Payment

Society Amendment- Annual List (Section 4 & 4A)

Home > Society Amendment- Annual List (Section 4 & 4A)

☑ Annual List (Section 4 & 4A)

Sr. No.	Total members of society	Number of members present in the meeting	Quorum of the meeting according to the law(%)	How many members voted in favor of the amendment	How many members voted against the amendment	Paased in Which AGM Date	Submission Date	Remarks	Status	Status Remark
1	24	24	100	24	0	23-12-2022	24-09-2024		OBJECTIONS BY OFFICE ASSISTANT (BACK TO CITIZEN)	14 -12 -2022 की आमसभा की कार्यवाही में बनाये गए पदाधिका 2 वर्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में स्पस्टीकर प्रस्तुत करे

Application Trail

Sr. No.	Status	Assign To	Remarks	Creation Date
1	OBJECTIONS BY OFFICE ASSISTANT (BACK TO CITIZEN)		14 -12 -2022 की आमसभा की कार्यवाही में बनाये गए पदाधिकारी 2 वर्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में स्पस्टीकरण प्रस्तुत करे	20/10/2024

Sr. No.	Status	Assign To	Remarks	Creation Date
2	ASSIGNED TO OFFICE ASSISTANT	JITENDRA YADAV	Assigned to OFFICE ASSISTANT for amendments.	24/09/2024

Documents

Sr. No.	Document	File
1	Board meeting resolution Notice with delivery proof*	View File (../Content/SocietyProfiling/453JAIPUR20072008/599D6D7613E84E4AB1F072959495BE30.pdf)
2	Board meeting resolution MOM And Attendance Sheet*	View File (../Content/SocietyProfiling/453JAIPUR20072008/4976AC7E40FD407C9D04974A83E7D09A.pdf)
3	AGM(Annual General meeting) Notice with delivery proof*	View File (../Content/SocietyProfiling/453JAIPUR20072008/534B8D23E4BE4AB08E862131D4DC635F.pdf)
4	AGM(Annual General meeting) MOM And Attendance Sheet*	View File (../Content/SocietyProfiling/453JAIPUR20072008/D14E9860A74E4E4BA0B0474BC0E254DA.pdf)

Society Executive

Sr. No.	AADHAAR Number	Director Name	Contact No.	Date of Birth	Gender	Category	Post	Photo	Occupation	Is E
1	XXXXXXXX9547	Indu Bala Chaudhary	9462646392	02/10/1981	F	--	PRESIDENT		TEACHER	ELE
2	XXXXXXXX7723	VISHAL CHOUDHARY	9928144609	21/06/1982	M	--	TREASURER		TEACHER	ELE
3	XXXXXXXX4966	PADAM SINGH DHAKA	9414078809	12/05/1956	M	--	SECRETARY		SOCIAL WORK	ELE
4	XXXXXXXX7302	Mamta Choudhary	7627032940	30/01/1990	F	--	MEMBER		TEACHER	ELE
5	XXXXXXXX8618	Soniya Dhayal	7976169264	10/07/1995	F	--	MEMBER		TEACHER	ELE
6	XXXXXXXX7486	Seema	9782286420	01/01/1995	F	--	MEMBER		HOUSE WIFE	ELE
7	XXXXXXXX1261	Kajod Khan	9928166852	01/02/1955	M	--	MEMBER		DRIVER	ELE
8	XXXXXXXX1003	Gyatri Devi	9887469947	01/01/1970	F	--	MEMBER		HOUSE WIFE	ELE

Sr. No.	AADHAAR Number	Director Name	Contact No.	Date of Birth	Gender	Category	Post	Photo	Occupation	Is E
9	XXXXXXXX6956	Yogesh Binda	9461244702	12/08/1978	M	--	MEMBER		TEACHER	ELE
10	XXXXXXXX6172	Saroj Choudhary	9414838682	30/05/1979	F	--	MEMBER		TEACHER	ELE
11	XXXXXXXX3965	Nimba Ram Bhaker	9413101537	01/02/1971	M	--	MEMBER		PRINCIPAL	ELE
12	XXXXXXXX4270	jyoti	9414064982	25/08/1985	F	--	vice president		teacher	ELE
13	XXXXXXXX5211	omprakash sharma	9929748236	15/08/1979	M	--	member		driver	ELE
14	XXXXXXXX3510	Ruchi sharma	7742735077	03/08/1988	F	--	member		teacher	ELE
15	XXXXXXXX6122	jyoti singh	8619337504	15/07/1994	F	--	member		librarian	ELE
16	XXXXXXXX3014	jaiprakash dabaria	9887930747	22/04/1985	M	--	member		teacher	ELE

Sr. No.	AADHAAR Number	Director Name	Contact No.	Date of Birth	Gender	Category	Post	Photo	Occupation	Is E
17	XXXXXXXX3098	shankar lal	9672352595	01/01/1989	M	--	member		driver	ELE
18	XXXXXXXX1782	sunita yadav	9252234084	03/09/1987	F	--	member		teacher	ELE
19	XXXXXXXX0462	sushila meena	7340562112	02/01/1989	F	--	member		teacher	ELE
20	XXXXXXXX7485	pooja choudhary	9468767977	11/05/1987	F	--	member		teacher	ELE
21	XXXXXXXX2826	prem devi	7690821422	01/01/1993	F	--	member		house wife	ELE
22	XXXXXXXX1933	rampyari	8107873294	01/01/1978	F	--	member		peon	ELE
23	XXXXXXXX1087	sanni deol verma	8233791028	21/07/1981	M	--	computer operator		teacher	ELE

2024 © DOITC DOITC.RAJASTHAN.GOV.IN || Help line e-mail : SUPPORT.RAJSAHAKAR@RAJASTHAN.GOV.IN

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत

रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र

प्राप्ति स्थान

किशोर बुक डिपो

गवर्नमेन्ट प्रेस के सामने, सरदार पटेल मार्ग,
जयपुर–302 001

कोषाध्यक्ष
विवेक शिक्षा समिति
कालवाड़, जयपुर

सचिव
विवेक शिक्षा समिति
कालवाड़, जयपुर (राज.)

अध्यक्ष
विवेक शिक्षा समिति
कालवाड़, जयपुर (राज.)

राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

संघ-विधान पत्र तथा विधान (नियमावली)

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र अथवा संस्था के प्रबन्धन के स्वरूप के अनुसार इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन तभी मान्य होगा, जबकि वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं, किन्तु प्रबन्धकारिणी में न्यूनतम 3 पदाधिकारी होना आवश्यक है।
3. संस्था के उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होने आवश्यक हैं। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 5 पर सभी आवेदक सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों द्वारा आवेदन करने पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।
9. **धारा-20 : सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:-** इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात्:-
   पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, [1][खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।
10. राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष अथवा किन्हीं तीन पदाधिकारियों चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जावे, के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं प्रस्तावित संस्था के तीन पदाधिकारियों द्वारा पृथक्-पृथक् शपथ-पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के पृथक्-पृथक् स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जावे। शपथ पत्र पर शपथ ग्रहणकर्ता की पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा की जाकर प्रमाणित करवायी जावे।
12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

1. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

सचिव
विवेक शिक्षा समिति
कालवाड़, जयपुर (राज.)

कोषाध्यक्ष
विवेक शिक्षा समिति
कालवाड़, जयपुर

अध्यक्ष
विवेक शिक्षा समिति
कालवाड़, जयपुर (राज.)

13. आवेदन-पत्र का पृष्ठ 12 नोटेरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ-पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।

14. ग्राम, मोहल्ला, कॉलोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना-पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।

15. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में जिले के रजिस्ट्रार संस्थाएँ को व्यक्तिगत रूप से अथवा उनके कार्यालय में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जाये।

16. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।

17. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।

18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य ग्रैजुएट होने आवश्यक है।

19. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।

20. रजिस्ट्रेशन फीस संबंधी अधिसूचनाएं पृष्ठ 24 पर देखें।

नोट : रजिस्ट्रार संस्थाएँ द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त ही चालान जनरेट कराके रजिस्ट्रार संस्थाएँ के हस्ताक्षर एवं निर्धारित पंजिका में इन्द्राज के पश्चात् ही SBBJ Bank/अधिकृत बैंक में जमा कराया जायेगा तथा जमा चालान की प्रतियां रजिस्ट्रार संस्थाएं कार्यालय में प्रस्तुत की जाये।

सेवा में,

श्रीमान् रजिस्ट्रार संस्थाएँ,

जयपुर राजस्थान

विषय : संस्था पंजीकरण हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि हम आवेदकगण जिनका विवरण संलग्न संघ विधान पत्र में अंकित है विवेक शिक्षा समिति कालवाड़ के नाम से राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्था पंजीकृत करवाने के इच्छुक हैं।

कृपया हमारी संस्था का पंजीयन करने का आदेश प्रदान कर अनुगृहित करें।

भवदीय

(अध्यक्ष/मंत्री)

संलग्न : संघ विधान-पत्र

तथा विधान (नियमावली)

विवेक शिक्षा समिति समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. **संस्था का नाम:-** इस संस्था का नाम विवेक शिक्षा समिति कालवाड़ जयपुर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ग्राम पोस्ट कालवाड़ जोबनेर रोड जयपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र जयपुर जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. **संस्था के उद्देश्य:-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना
2. समस्त नागरिको के बौद्धिक विकास के लिये कार्य करना
3. विद्यालय संचालन कर, बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना।
4. पिछड़ा वर्ग, S.C, S.T, के छात्र/छात्राओं को शिक्षा प्रदान करना।
5. बालको में खेलकूद की भावनाएँ जागृत करना
6.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष (हस्ताक्षर) मन्त्री (हस्ताक्षर) कोषाध्यक्ष (हस्ताक्षर)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष (हस्ताक्षर) मन्त्री (हस्ताक्षर) कोषाध्यक्ष (हस्ताक्षर)

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्रीमती इन्दु चौधरी W/o श्री योगेश	अध्यापन	310 करधनी, गोविन्दपुरा कालवाड़ रोड, जयपुर.	अध्यक्ष
2.	श्री पदमसिंह टाका S/o श्री गोपी राम	प्रधान सेवा	1, टाका नगर, सीरसी रोड, जयपुर	मंत्री
3.	श्री कैलाश चन्द बोहरा S/o श्री रतन लाल बोहरा	प्राईवेट सर्विस	16 A, मोदी कॉलोनी कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर	कोषाध्यक्ष
4.	श्री मुरारी लाल शर्मा S/o श्री गोविन्द नारायण शर्मा	अध्यापक	विवेक विहार कॉलोनी कालवाड़ - जयपुर	उपाध्यक्ष
5.	श्री [illegible] शर्मा श्री भैरु राम शर्मा	अध्यापन	Vill-Post - Khora Bissal Distt. Jaipur -12	सदस्य
6.	श्रीमति ऊषा परवार W/o श्री करणी सिंह	समाज-सेवक	प्लाट न० -4, टाका नगर, सिरसी रोड, जयपुर	उपमंत्री
7.	श्रीमती रीमा चौधरी W/o श्री महेन्द्र सिंह	समाज-सेवक	C/o महेन्द्र सिंह, रतन कॉटेज, हसनपुरा, जयपुर।	सदस्य
8.	श्री रामस्वरूप S/o श्री लक्ष्मण	व्यापार	चकरामसर, Vill-Post धानक्या, जयपुर।	सदस्य
9.	कल्याण मल S/o गजीत	समाज सेवा	मु. पो. कालवाड़ मण्डा रोड जयपुर	"

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10.	करजोड़ खाँ S/o सलेमान खाँ	ड्राइवर	मु. पो. करणसर वाया - रेनवाल जिला - जयपुर (राज.)	सदस्य
11.	संजय कुमार गुप्ता S/o मोहन लाल गुप्ता	सर्विस प्राईवेट	डी - 11, [illegible] कॉलोनी नेहरू नगर, जयपुर-16	"
12.	कुमारी अर्चना पारीक D/o श्री शम्भु दयाल पारीक	अध्यापन	महेशपुरी कॉलोनी नेवजी की चक्की निवारू रोड, झोटवाड़ा	"
13.	कैलाश चन्द गुर्जर S/o श्री रामलाल गुर्जर	अध्यापक	168, विजयसिंह पथिक नगर कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा जयपुर-12	"
14.	राजेन्द्र कुमार बाजोरिया S/o श्री नेमीचन्द बा.	समाज सेवा	मु. पो. कालवाड़ तह-जिला जयपुर [illegible]	"
15.	श्रीमति प्रवीण लता	गृहणी	D-44 राजन कॉलोनी नेहरू नगर जयपुर	

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती इन्दु चौधरी	अध्यापक	A-370, करधनी, गोविन्दपुरा, कालवाड रोड जयपुर	Indu Chaudhary
2.	श्री पदमसिंह ढाका S/o श्री गोपी राम	समाजसेवा	ढाका नगर, सीरसी रोड, जयपुर	Padam Singh
3.	श्री कैलाश चन्द वर्मा S/o श्री रतन लाल	प्राईवेट सर्विस व्यवसाय/वटीखाना	16A, मोदी कालोनी कालवाड रोड झोटवाड़ा	Kailash
4.	श्रीमती आभा पंवार W/o श्री करण सिंह चौधरी	समाज सेवक	प्लाट नं०-9, ढाका नगर सिरसी रोड, जयपुर	आभा
5.	श्रीमती रीना W/o श्री महेन्द्र सिंह	समाज सेवक	C/o श्री महेन्द्र सिंह रतन कॉटेज, हसनपुरा जयपुर	Reena
6.	श्री बजरंग S/o श्री गिरधारी लाल	समाजसेवा	मु. पो. कालवाड विवेक विहार कालोनी कालवाड	बजरंग सिंह
7.	श्री सांवर मल S/o श्री हेमा राम	समाज सेवा	मु. पो. कालवाड जिला - जयपुर	सांवरमल
8.	श्री रामस्वरूप S/o श्री लक्ष्मण	व्यापार	चकरामपुरा, vill- Post हाथनौदा, जयपुर	रामस्वरूप
9.	कल्याण मल S/o रणजीत	समाज सेवा	मु. पो. कालवाड मण्डी रोड जयपुर	Kalyan

अध्यक्ष Indu Chaudhary   मन्त्री Padam Singh   कोषाध्यक्ष Kailash

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
10	मजोड़ खॉं S/o श्री सुलेमान खॉं	ड्राईवर	मु. पो. करणसर वाया रेनवाल जिला - जयपुर (राज.)	मजोड़ खॉं
11.	कु. निशा गुप्ता D/o श्री दुर्गा लाल गुप्ता कालवाड	समाजसेवा	D/o श्री दुर्गालाल गुप्ता इन्द्रा बाजार कालवाड	Deepti
12.	मुरारी लाल शर्मा S/o श्री गोविन्द नारायण शर्मा	अध्यापक	विवेक विहार कॉलोनी कालवाड़ (जयपुर)	Murari
13.	श्री राजेन्द्र कालोरिया S/o श्री नेमीचन्द कालोरिया	समाज सेवा	मु. पो. कालवाड जिला जयपुर (राज.)	राजेन्द्र
14.	श्री सीताराम शर्मा S/o श्री भैरु राम शर्मा	अध्यापक	रैगरों का मोहल्ला सीताराम शर्मा V/P- Khora bisal Dist. Jaipur (Raj) Pin 303012	[illegible]
15.	श्री सुनील कुमार शर्मा S/o श्री कैलाश नारायण	समाजसेवा	सुनील कुमार शर्मा मीणों का मोहल्ला कालवाड़ जयपुर	Sunil
16.	श्री कैलाश चन्द गुर्जर S/o श्री रामलाल गुर्जर	अध्यापक कानपुर	168, विजय सिंह पथिक नगर, कालवाड रोड झोटवाड़ा, जयपुर	Kailash
17.	मालीराम मीणा S/o श्री जोरा राम मीणा	सर्विस प्राईवेट	मु. पो. करणसर वाया रेनवाल जि. जयपुर	मालीराम
18.	संजय कुमार गुप्ता S/o श्री मोहनलाल गुप्ता	सर्विस प्राईवेट	डी-11, संजय कालोनी नेहरू नगर, जयपुर-16	[illegible]

अध्यक्ष Indu Chaudhary   मन्त्री Padam Singh   कोषाध्यक्ष Kailash

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19 कुमारी	अर्चना पारीक श्री शम्भु दयाल पारीक	अध्यापन	श्री शम्भु दयाल पारीक प्लाट नं. 5 महेशपुरी नेताजी की चक्की, झोटवाड़ा	अर्चना
20.	श्री गोविन्द राम पु० मेवा राम	समाज सेवा	प्लाट नं. 44 विवेक विहार कॉलोनी कालवाड़	गोविन्द राम
21.	श्रीमति प्रवीणलता	गृहणी	44 संजय कालोनी नेहरू नगर जयपुर	
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				

अध्यक्ष Pushp Chaudhary मन्त्री Padam Singh कोषाध्यक्ष Kailash

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				

अध्यक्ष Pushp Chaudhary मन्त्री Padam Singh कोषाध्यक्ष Kailash

जयपुर

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37.				
38.				
39.				
40.				

1. संस्था का पंजियन क्रमांक 453
2. संस्था का नाम विवेक शिक्षा समिति
3. जिल्द दस्तावेज मूल
4. दस्तावेज की संख्या 16
5. दिनांक पंजियन 29-9-07
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी) (साक्षी)

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.)
17 SEP 2007

1. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
राजमोहन गुप्ता
अध्यापक,
P.No-222, करणी विहार,
अजमेर रोड, जयपुर।

2. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
योगेश बिन्दा
P.N-A-370 करधनी
गोविन्दपुरा, कालवाड़
जयपुर

नोट : शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

अध्यक्ष Prabhu Chaudhary मन्त्री Padam Singh कोषाध्यक्ष Kailash

विवेक शिक्षा समिति समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम विवेक शिक्षा समिति कालवाड़ जयपुर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ग्राम पोस्ट कालवाड़ जोबनेर रोड जयपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र जयपुर जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना।
2. समस्त नागरिकों के बौद्धिक विकास के लिये कार्य करना।
3. विद्यालय संचालन कर बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना।
4. पिछड़ा वर्ग, S.C., S.T. के छात्र/छात्राओं को शिक्षा प्रदान करना।
5. बालकों में खेलकूद की भावना जागृत करना।
6.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष Prabhu Chaudhary मन्त्री Padam Singh कोषाध्यक्ष Kailash

7. ....

8. ....

9. ....

10. ....

11. ....

12. ....

13. ....

14. ....

15. ....

....

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष Preety Chaudhary मन्त्री Padam Singh कोषाध्यक्ष Kailash

4.	सदस्यता :–	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:– 1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों। 2- बालिग हों। 3- पागल, दीवालिये न हों। 4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों। 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।
5.	सदस्यों का वर्गीकरण :–	संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :– 1-संरक्षक 2-विशिष्ठ 3-सम्माननीय 4-साधारण (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)
6.	सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :–	उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :– 1-संरक्षक राशि 11000/- वार्षिक/आजन्म 2-विशिष्ठ राशि 5100/- वार्षिक/आजन्म 3-सम्माननीय राशि 2100/- वार्षिक 4-साधारण राशि 1100/- वार्षिक उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. .... की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।
7.	सदस्यता से निष्कासन :–	संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :– 1-मृत्यु होने पर 2-त्याग-पत्र देने पर 3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर 4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

अध्यक्ष Preety Chaudhary मन्त्री Padam Singh कोषाध्यक्ष Kailash

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:– संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :– साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :–

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

10. साधारण सभा की बैठकें :–

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

अध्यक्ष (signature) मन्त्री (signature) कोषाध्यक्ष (signature)

11. कार्यकारिणी का गठन :– संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–

1. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक
3. मन्त्री-एक 4. कोषाध्यक्ष-एक
5. सदस्य-सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ....5 (पांच)........ पदाधिकारी व ....9 (नौ) सदस्य कुल ....14 (चौदह) सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :–

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :– संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :–

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

अध्यक्ष (signature) मन्त्री (signature) कोषाध्यक्ष (signature)

14. कार्यकारिणी की बैठकें :–

1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी [illegible] सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :–

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :–

1-अध्यक्ष :

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मन्त्री :

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपमंत्री :

1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :–

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :– संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :–

1-अध्यक्ष 21000/- रु.
2-मन्त्री 11000/- रु.
3-कोषाध्यक्ष 5000/- रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

1. संस्था का पंजियन क्रमांक 45 32
2. संस्था का नाम विवेक शिक्षा समिति
3. फिस्त दस्तावेज
4. दस्तावेज की संख्या 16
5. दिनांक पंजियन 29-9-07
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

18. संस्था का अंकेक्षण :– संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक रिपोर्ट रजिस्ट्रार संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :– संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :– यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी रजिस्ट्रार संस्थाऐं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :– रजिस्ट्रार संस्थाएं उदयपुर को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) विवेक शिक्षा समिति कानोड़ समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था को सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष — मन्त्री — कोषाध्यक्ष

राज. सं...
यह प्रमाणित ... पृष्ठ सं. ... तक है, ...
1. नकल ... की दिनांक 3-10-07
2. नकल ...
... के हस्ताक्षर
रजिस्ट्रार संस्थायें उदयपुर

शपथ–पत्र का प्रपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था .... के सशपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि:–

1. हमारी प्रस्तावित संस्था .... के पंजीयन हेतु कुल .... आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष — मन्त्री — कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें .... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष — मन्त्री — कोषाध्यक्ष

नोट : यह शपथ पत्र रुपये 10/- के स्टाम्प पर होगा तथा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होगा।

अध्यक्ष — मन्त्री — कोषाध्यक्ष
अध्यक्ष — मन्त्री — कोषाध्यक्ष

विवेक शिक्षा समिति, जयपुर

ग्राम पो0 कालवाड, जयपुर

क्रमांक

दिनांक 20–9–07

तुलनातमक विवरण

कस	प्रस्ताव संख्या	पुराना नियम	नया नियम
1–	3 उद्देश्य :–	1– बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना । 2– समस्त नागरिकों के बौद्धिक विकास के लिए कार्य करना। 3– विद्यालय संचालन कर बालकों के संर्वागीण विकास हेतु कार्य करना। 4– पिडछा वर्ग एससी, एसटी के छात्र / छात्राओं को शिक्षा प्रदान करना। 5– बालकों में खेलकूद की भावनाएँ जागृत करना ।	1– बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना । 2– समस्त नागरिकों के बौद्धिक विकास के लिए कार्य करना। 3– विद्यालय संचालन कर बालकों के संर्वागीण विकास हेतु कार्य करना। 4– पिडछा वर्ग एससी, एसटी के छात्र / छात्राओं को शिक्षा प्रदान करना। 5– बालकों में खेलकूद की भावनाएँ जागृत करना । 6– संस्था द्वारा विद्यालय महाविद्यालय, बीएड, एमएड, एसटीसी, आईटीआई विद्यालयों का संचालन करना । 7– संस्था किसी भी समान उद्देश्यवाली संस्था को अपनी चल व अचल सम्पत्ती, चलता हुआ विद्यालय, महाविद्यालय, बीएड कालेज आदि के संचालन हेतु हस्तांतरित कर सकती है तथा किसी अन्य समान उद्देश्य वाली संस्था से चलता हुआ विद्यालय, बीएड कालेज महाविद्यालय आदि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएँ एवं चल व अचल सम्पत्ति को गृहण कर उनका संचालन करना । 8– संस्था द्वारा महाविद्याल, बीएड, महाविद्यालय एसटीसी, एवं तकनीकि शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना।

राज. संस्था [illegible] अधिनियम 1958
[illegible] 19 के तहत
यह [illegible] है कि यह संस्था
विधान [illegible] गये दस्तावेज जो
पृष्ठ .... से पृष्ठ ....
तक है, [illegible]
1. नकल [illegible] 8-11-07
2. नकल तैयार करने
वाले के हस्ताक्षर ....
रजिस्ट्रार संस्थाएँ
जयपुर

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थायें,
जयपुर ।

22

क्रमांक का/रजि/संस्थायें/ 463 जयपुर, दिनांक 29-9-07

अध्यक्ष/मन्त्री,

श्रीमती इन्दू चौधरी / पदम सिंह ढाका

विवेक शिक्षा समिति

कालवाड़ जोबनेर रोड जयपुर

विषय : राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण के क्रम में ।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक 453 /जयपुर 2007-08 दिनांक 29-9-07 संलग्न है । जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें ।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4(क) की सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनायें भिजवाना आवश्यक है :—

1. संस्था के मामलों का प्रबन्ध जिनको सौंपा गया है, उक्त परिषद् समिति या अन्य शासी निकाय के शासकों संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद सहित ।

2. एक विवरण जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है कि दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो ।

3. संस्था के नियमों और विनियमों का एक तातारीख सही प्रतिलिपि जो शासी निकाय के शासकों, न्यासों या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो ।

   इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त प्रतियां सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारख से 15 दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए ।

4. संस्था द्वारा प्रस्तुत विधान नियमावली, दस्तावेजों, सूचनाओं में यदि कोई गलत, मिथ्या सूचना अंकित किया जाना प्रमाणित होता है अथवा यदि संस्था द्वारा जांच/निरीक्षण कराये जाने से इन्कार किया जाता है तो रजिस्ट्रार को संशोधित विधान नियमावली, चुनाव सूचना इत्यादि तथा पंजीयन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

   यदि संस्था द्वारा धारा 4 व 4(क) की सूचनायें प्रति वर्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संस्था प्रथम दोष सिद्ध पर 500/- जुर्माना तथा दोष सिद्धी जारी रहने पर 50/- प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने

रजि. नं. 453/2007-08

विवेक शिक्षा समिति कालवाड़, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)

क्रमांक : VSS/2018/3545

दिनांक 15/06/2018

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची

क्र. स.	नाम	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती इन्दु बाला चौधरी	अध्यक्ष	अध्यापक
2.	श्री पदम सिंह ढाका	सचिव (मंत्री)	समाज सेवा
3.	श्रीमती सोनिया बेनीवाल	कोषाध्यक्ष	अध्यापक
4.	श्रीमती ज्योति चौधरी	उपाध्यक्ष	अध्यापक
5.	श्रीमती निशा गुप्ता	सदस्य	अध्यापक
6.	श्री विशाल चौधरी	सदस्य	समाज सेवा
7.	श्री सुनील निराणिया	सदस्य	अध्यापक
8.	श्री कजोड खां	सदस्य	ड्राइवर
9.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	सदस्य	प्राइवेट सर्विस
10.	श्रीमती मंजु	सदस्य	अध्यापक
11.	श्री योगेश बिन्दा	सदस्य	निजी व्यवसाय
12.	श्री विक्रान्त चौधरी	सदस्य	समाजसेवा
13.	श्रीमती सरोज चौधरी	सदस्य	अध्यापक
14.	श्री भंवरलाल गुप्ता	सदस्य	प्राइवेट सर्विस
15.	श्रीमती पूजा चौधरी	सदस्य	समाजसेवा
16.	डॉ. नरेन्द्र कुमार भामू	पदेन सदस्य	प्राचार्य, पी.जी कॉलेज
17.	कॉलेज आयुक्त	पदेन सदस्य	

10/9/18

अध्यक्ष
विवेक शिक्षा समिति
कालवाड़, जयपुर

सचिव
विवेक शिक्षा समिति
कालवाड़, जयपुर (राज.)

सोनिया बेनीवाल
कोषाध्यक्ष
विवेक शिक्षा समिति
कालवाड़, जयपुर